राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )CAO/DLB/ 2018/ 28482 – 672 दिनांक :– 27.2.18

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषय मे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान समस्त नगरीय निकायों को उक्त योजना के विभिन्न घटकों मे निदेशालय द्वारा राशि का आंवटन करते हुए सम्बन्धित नगरीय निकाय के निजी निक्षेप खाते (पीडी अकाउट) एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक मे इस परियोजनार्थ खोले गये बैंक खातो मे जमा करवाई गई थी साथ ही इस बारे मे भी स्पष्टरूप से निर्देशित किया गया था कि आवंटित राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जाये जिस प्रयोजन हेतु राशि आवंटित की गई है। राशि का पृथक से लेखा संधारण करने एवं व्यय उपरान्त राशि के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रामण पत्र निदेशालय मे प्रस्तुत करने हेतु भी लिखा गया था। अधिकाशं निकायो द्वारा उन्हे आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र आज दिनांक तक भी प्रस्तुत नही किये गये है एवं जिन निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये है वे भी आधे अधुरे एवं घटकवार नही है। चूकि वित्तीय वर्ष 2017–18 समाप्ति की और है एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रो के सम्बन्ध मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार को अवगत करवाया जाना है।

अतः समस्त निकायो को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि के समायोजन हेतु संलग्न प्रारूप मे उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर दिनांक 28.02.2018 से पूर्व निदेशालय की लेखाशाखा मे प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष मे राशि आवंटन से वंचित रहने की स्थिति मे समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी।

संलग्न :– 1 प्रपत्र।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )CAO/DLB/ 2018/ 28673-82 दिनांक :– 27-2-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निदेशक (स्वच्छता)।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पंवार)
मुख्य लेखाधिकारी

उपयोगिता का प्रमाण पत्र

1. नगरीय निकाय का नाम ....
2. स्कीम का नाम – स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
3. दिनांक .... तक की स्थिति।

(राशि रू. लाखों मे)

क्र. सं.	योजना का घटक	प्राप्त राशि वर्ष			कुल प्राप्त राशि (3+4+5)	उपयोग मे ली गई राशि	शेष उपलब्ध राशि	अतिरिक्त मांग राशि
		2015–16	2016–17	2017–18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	IHHT							
2.	SWM							
3.	CT							
4.	PT							
5.	IEC							
6.	CB and A&OE							
7.	Urinals							
	Total							

1. प्रमाणित किया जाता है, कि आवंटित की गयी राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया गया है, जिस कार्य हेतु उक्त राशि उपलब्ध करवायी गयी है।
2. राशि व्यय करने में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जा रही है।
3. आवंटित की गई राशि का नियमानुसार पृथक से लेखा संधारित किया जा रहा है।

वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता स्तर तक) | वरिष्ठतम लेखाकर्मी/अधिकारी | आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी